प्रपत्र VI क

झारखण्ड सरकार

समाहरणालय पूर्वी–सिंहभूम, जमशेदपुर

(भू–अर्जन शाखा)

या

समाहर्ता या समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30/2013 की धारा–11 (1) के अधीन)

संख्या–223 **जमशदपुर, दिनांक–31.05.2017**

चूंकि समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–कटासमारा, थाना–घाटशिला, थाना नं0–513, अंचल–चाकुलिया, जिला–पुर्वी–सिंहभूम, में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना ओ0आर0–60 (चिंगरा माईनर) लघु नहर निर्माण हेतु अपक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एंव पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी को प्रशासक के रूप में प्राधिकृत किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम–कटासमारा, थाना–घाटशिला, थाना नं0–513, अंचल–चाकुलिया, जिला–पूर्वी–सिंहभूम में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश–2.94 एकड़ यानि 1.19 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन हैं ....

क0	खाता सं0	सर्वे प्लॉट सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	139	11	कायमी	गोड़ा–दो	0.20	सिद्येश्वर गोप, पिता–सुरेन्द्र गोप, पिता–नन्दो गोप	1255,1,10,8 अंश	12 अंश	12 अंश	चिंगड़ानं0 507
2	73	12	कायमी	गोड़ा–दो	0.20	सुरेन्द्र पिता– नन्दो गोप	11 अंश	12 अंश	12 अंश	चिंगड़ानं0 507
3	76	8	कायमी	गोड़ो–दो	0.535	वरीश अली अनसारी, पिता– तुरीव अनसारी	8,9 अंश	8 अंश	9,1256 अंश	11,10 अंश
4	76	9	कायमी	पु0–परती	0.025	वरीश अली अनसारी, पिता– तुरीव अनसारी	9 अंश	8 अंश	1 अंश	8 अंश
5	–	1249	–	पु0–परती	0.085	मु0–	1256,3 अंश	1249 अंश	1256,3 अंश	1256 अंश
6	77	3	कायमी	गोड़ा–दो	0.745	मोहम्मद कलीम अनसारी, पिता–म. आयुव अनसारी निःनिः ग्राम	3 अंश	3 अंश	25 अंश	1,1249 अंश
7	41	512	कायमी	गोड़ा–दो	0.58	जतेन्द्रर नाथ गोप, पिता सामचन्द्र गोप	512 अंश	509 अंश	512 अंश	25,512 अंश
8	15	509	कायमी	गोड़ा–दो	0.42	कान्तो गोप, पिता–रासु गापे	512 अंश	500 अंश	509 अंश	509,510 अंश
9	15	511	कायमी	गोड़ा–दो	0.05	कान्तो गोप, पिता–रासु गापे	511 अंश	500 अंश	510 अंश	511 अंश
10	–	40	–	गोड़ा–दो	0.07	मु0–	500 अंश	28 अंश	40 अंश	27 अंश
11	–	28	–	गोड़ा–दो	0.03	मु0–	27 अंश	28 अंश	28 अंश	27 अंश
कुल– 2.94 एकड़ यानि 1.19 हेक्टेयर										

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एंव पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या–30/2013) की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी सं0–1, के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा–12 में यथाउपबंधित एंव यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एंव उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी सं0–1, और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा।

अधिनियम की धारा–15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अंतर्गत भू–अर्जन की बावत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्व व्यक्ति द्वारा विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी सं0–1, के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ह/0

वि0भू0अ0पदा0मानगो–1,
जमशेदपुर।

ह/0

अपर उपायुक्त
पूर्वी–सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक–223, जमशेदपुर, दिनांक–31.05.2017

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एंव विज्ञान पदाधिकारी, पूर्वी–सिंहभूम, जमशेदपुर को जिले के बेवसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सूचना एंव जनसंपर्क पदाधिकारी, पूर्वी–सिंहभूम, जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान/प्रभात खबर/उदितवाणी में प्रकाशनार्थ/उप–समाहर्त्ता प्रभारी, जिला गजट, पूर्वी–सिंहभूम जमशेदपुर के अगले अंक के जिला गजट में प्रकशनार्थ प्रेषित।

ह/0

विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी सं0–1,
सुवर्णरेखा परियोजना मानगो, जमशेदपुर।